आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
29/12/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि **"मौजा–रहेया** जाकर राजस्व कागजात एवं गत सर्वे के नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच के क्रम में बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत राजस्व रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया। जिससे पाया कि जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती **केश नं0 206/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा रहेया थाना नं0–345** के अंतर्गत उक्त **खाता सं0–53, प्लौट सं0– 117/F, रकबा 1.97 ए0** भूमि की बंदोबस्ती उक्त **रैयत श्रीमति रीता देवी पति मालदेव महतो** के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी **मौजा रहेया** के मांग पंजी II के **पेज सं0 70/2** पर **श्रीमति रीता देवी पति मालदेव महतो** के नाम से दर्ज होकर वर्ष 2003–12 तक एक मात्र रसीद निर्गत हुआ है। अतः बंदोबस्ती पर्चा वो राजस्व रसीद निर्गत होने से स्पश्अ होता है कि उक्त जमाबंदी केश नं0 132/2016–17 को अवैध/संदेहास्पद सूची से बाहर किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.........समाप्त..................की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह0 29/12/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। ह0 29/12/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,
अंचल अधिकारी महोदय
मनातू पलामू

विषय- संदिग्ध संदेहास्पद जमाबंदी केस सं० 132/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन।

[illegible]

महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदित करना है कि मौजा- रहेपा जाकर राजस्व कागजात एवं गत लेखे के नक्शा से मिलान करके अंचल जमीन के जगह स्थलीय जाँच किया। जाँच के क्रम में वंदोवस्ती पर्चा एवं ऑनलाइन राजस्व रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर के वंदोवस्ती केस नं 206/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा रहेपा थाना न० 345 खाता न० 53 खेसरा सं० 117/F रकबा 1.97 एकड़ भूमि की वंदोवस्ती उक्त रैयत श्रीमती शीला देवी पति मालदेव महतो के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेपा के मांग पंजी II के पेज नं० 70/II पर श्रीमती शीला देवी पति मालदेव महतो के नाम से दर्ज होकर वर्ष 2003-12 तक एकमात्र रसीद निर्गत हुआ है।

अतः वंदोवस्ती पर्चा को राजस्व रसीद निर्गत होने से स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबंदी केस नं 132/2016-17 को अवैध/संदेहास्पद सूची से बाहर किया जा सकता है। जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु श्रीमान को सादर समर्पित।

जाँचकर्ता [illegible]
हल्का कर्मचारी मनातू

RSI+CI

[illegible]

(જમુવન વો નામ) ।

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
				૬ [illegible] [illegible]			[illegible]	
૪૩	[illegible]	૧૦૨						
		૧૦૭		૬ [illegible]			[illegible] [illegible]	
		૧૦૯		[illegible] [illegible]			[illegible]	
		૧૧૧		[illegible] [illegible]			[illegible]	
		૧૧૨		[illegible] [illegible]			[illegible]	
		૧૧૩		[illegible] [illegible]			[illegible] [illegible]	
		૧૧૪		[illegible] [illegible]			[illegible]	
		[illegible]		[illegible] [illegible]			[illegible] [illegible]	
		[illegible]		[illegible]			[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]					
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	[illegible]	૧૦૨		[illegible]			[illegible]	
		૧૦૩		[illegible]			[illegible]	
		[illegible]		[illegible]				
		[illegible]		[illegible]				
		[illegible]		[illegible]				
		[illegible]		[illegible]			[illegible]	
		૧૧૩		[illegible]			[illegible]	
		[illegible]		[illegible]			[illegible]	
		[illegible]		[illegible]			[illegible]	
		[illegible]		[illegible]			[illegible]	

अंचल अधिकारी 13 2116-मनातू का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या— ...... बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि. 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि. 1950 ...

एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के पत्रांक-2074/रा., दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अतुल मुखर्जी, विशेष भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-6 ... 119/85/2508/रा., दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-814/रा., दिनांक-04.12/1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा- ...... थाना- 241 खाता संख्या- 53 प्लॉट संख्या- 112 रकबा- 1.97 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के रजि-II के जिल्द संख्या-...... के पृष्ठ संख्या- 78/2 पर जमाबंदी रैयत सीताकेली के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध हुकुमनामा के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिससे रैयत निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करता है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित पुरा दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनसे कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 16/09/16 को उपस्थापित करें।

टंकित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू

E:\Raju 5 Nayi\A\ujjfe Jamabandi.docx

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ...132.../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम सीता देवी w/o मालदेव महतो
सा० रहेया

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ...रहेया..., थाना नं०346 खाता नं0...53... खेसरा नं0...112... रकबा...1.97... से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0...... पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ट साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

परिशिष्ट

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– सीता देवी, प्रo मालदेव मण्डल ग्राम- रहेमा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रहेमा	346	53	117	1.97 ए०

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.......... पृष्ठ सं० 30/2 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 2012-13
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– S.D.O. दुमका (?)
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अभिलेख सहित हुकुमनामा/लगान निर्धारण/सैरात/दाखिल खारिज) – 206/2012-13
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/पंजीकृत पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
7	4768215	23/11/12	2002-03 से 2011-12

(signature)

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
	अभिलेख आह्वानित किया गया। प्रतिवादी-पक्ष- अनुपस्थित। अतः पुनः क्लीयर नोटिस निर्गत करें, जिसकी तिथि ——— को रखें। [illegible]	

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर जिला – पलामू

गैर मजरुआ आम / मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि / आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 206/02-03 **परवाना संख्या-** 29

बन्दोबस्तधारी का नाम श्रीमती रीता देवी **पति/पिता का नाम** बलदेव महतो

ग्राम रहेया **थाना** मनातू **जिला** पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न0	खेसरा न0	रकबा	चौहदी	लगान 08/-
रहेया 345	53	H7 / F	1.97 एकड़ एक डीसमील	उ0 गणेश महतो द0 नदी पू0 प्रदीप महतो प0 पुरुषोत्तम महतो	प्रतिवर्ष अलावे सेस वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल कब्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेंगे / लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत योग्य होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तानान्तरण वैध नहीं होगा। बन्दोबस्त भूमि की सांस्थिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

11.7.03

अनुमंडल पदाधिकारी

21.7.03

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.12.31 12:59:53 +05:30
Location: 10.100.138.156

180V

पलामू

नाम ... हल्का ... नाम मौजा मय ... थाना वो ... नम्बर ... /345

V रसीद मालगुजारी
फरद मालकी/फरद रैयती
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
वो सकूनत नम्बर। JB/41

P.N-70/II

4968215

खाता संख्या	खेसरा संख्या
3	प्लौट - 117 रकबा 1.97 ए०

अराजी नकदी — अराजी भावली — तफसील हिसाब लगान भावली

श्री ...

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	हाल 2011-12
माल गुजारी (नकदी)	8.00				80.00	8.00
माल गुजारी (भावली)	2.00				20.00	2.00
सेस	4.00				40.00	4.00
*सूद	4.00				40.00	4.00
मुतफरकात	2.00				20.00	2.00
मीजान	20.00				200.00	20.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	2011-12 मोतालबा हाल	फाजिल
माल गुजारी (नकदी)				80.00	8.00	[illegible]
माल गुजारी (भावली)				20.00	2.00	
सेस				40.00	4.00	
*सूद				40.00	4.00	
मुतफरकात				20.00	2.00	
मीजान अदायकारी				200.00	20.00	220.00

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — दो सौ बीस रुपये मात्र
(2) नाम देहिन्दा - स्वयं
(3) कुल बकाया-

22/1/12

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकाया पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

NCCP-2007